न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 35/2020 G.C.M.S. No. 2020/00118 दर्ज दिनांक : 07.07.2020

अपीलार्थिगणः

1. दुर्गाराम पुत्र श्री घेवररामजी, उम्र 55 वर्ष
2. घेवरराम पुत्र श्री आसुरामजी, उम्र 90 वर्ष, जातिगण माली, निवासीगण ग्राम किशननगर (बेडकला) तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. कानाराम पुत्र श्री घेवररामजी, जाति माली, निवासीगण ग्राम किशननगर (बेडकला) तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दुरूस्ती सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2020 बअनवान कानाराम बनाम दुर्गाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित—

1. श्री श्यामसिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः 28.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दुरूस्ती सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2020 बअनवान कानाराम बनाम दुर्गाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि सायलान् रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एवम् अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा किशननगर, पटवार हल्का बैडकलां, तहसील—जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 144 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.01 बीघा एवं खसरा नम्बर 46 रकबा 01.15 बीघा, खसरा नम्बर 147 रकबा 04.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 148 रकबा 45.05 बीघा, खसरा नम्बर 149 रकबा 22.09 बीघा एवं खसरा नम्बर 150 रकबा 29.12 बीघा कुल खसरा 7 रकबा 114.04 बीघा एवं खसरा नम्बर 109 रकबा 24.09 बीघा, खसरा नम्बर 122 रकबा 14.12 बीघा, खसरा नम्बर 123 रकबा 45.07 बीघा, खसरा नम्बर 164/3 रकबा 4.15 बीघा, खसरा नम्बर 164/1

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 8.17 बीघा तथा सरहद मौजा लौटोती, पटवार हल्का लौटोती, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 577 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 561/1 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नम्बर 568/8 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 558 रकबा 31.12 बीघा, खसरा नम्बर 306 रकबा 9.16 बीघा, खसरा नम्बर 273 रकबा 4.16 बीघा, खसरा नम्बर 298 रकबा 6.05 बीघा एवं खसरा नम्बर 19 रकबा 59.10 बीघा की भूमि आई हुई हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की हिन्दू मुस्तर्का खानदान की अविभक्त सामलाती एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिस पर बतौर खातेदार काश्तकार के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज है। उक्त आराजी में प्रार्थी को महरूम वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है एवं उक्त आराजी को किसी अजनबी क्रेता को बेचाण हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 02 घेवरराम वृद्धावस्था में एवं होश–हवास व मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने से अप्रार्थी संख्या 01 बेचाण हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से रखा जाकर पाबन्द करने की ईस्तदुआ की हैं एवं उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करते हुए अपीलार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं करने व बेचाण हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है, जो आदेश दिनांक 03.03.2020 को एकपक्षीय प्रदान किया गया है। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा जो अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जो तथ्य दर्ज किये गये, वो तथ्य पूर्णतया गलत व आधारहीन दर्ज किये हैं। वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है एवं उक्त गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय से एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया है, जो आदेश पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। यही नहीं ऐसा आदेश किसी भी रूप से एक माह से अधिक समय तक आदेश 39 नियम 3 के तहत जारी नहीं रह सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है एवं आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना में कोई पंजीबद्ध नोटिसेज व आदेश की प्रति अपीलार्थीगण को नहीं भेजी गई है और न ही अप्रार्थीगण को किसी भी रूप से सुनवाई का कोई अवसर ही प्राप्त हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण/अपीलार्थी की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु कोई मौका नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश किसी भी रूप से आगे कायम नहीं रखा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उक्त भूमि जो अपीलार्थी संख्या 02 के नाम की मालिकाना हक की हैं एवं अपीलार्थी संख्या 01 व 02 के नाम से खरीदी हुई हैं। जिस भूमि में एकमात्र अपीलार्थीगण ही खातेदार व हक अधिकारी है। किसी भी रूप से उक्त कृषि भूमि अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति नहीं माना जा सकती हैं। केवल मात्र प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन कर लेने से

Scanned with OKEN Scanner

उन कथनों पर विश्वास करने का अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई कारण या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थीं। ऐसी स्थिति में उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय किसी भी रूप से प्रदान नहीं कर सकता था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर अपीलार्थीगण को पाबन्द किया है। जो पूर्णतया विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त वादग्रस्त आराजी जो प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित की है वह भूमि किसी भी रूप से प्रार्थी को कोई हक अधिकार या प्रार्थी का कब्जा कभी भी नहीं रहा है एकमात्र अपीलार्थी संख्या 01 व 02 की खरीदसुदा, मालिकाना हक की कृषि भूमि है जिसमें अपीलार्थीगण के अलावा अन्य किसी को हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में सायलान् का प्रार्थना–पत्र व दावा का जवाब कोरोना काल होने से प्रस्तुत नहीं किया जा सका लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र कोरोना काल को बताकर उक्त पूर्ववर्ती आदेशों की स्थिति को यथावत माना जा रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को अपनी खातेदारीसुदा, हक अधिकार की भूमि के उपयोग–उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है इस कारण भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश को कोरोना काल में बताकर अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्देश के अनुसार पूर्ववर्ती आदेशों की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को उक्त अपीलाधीन आदेश को चुनौती देने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश की कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद दिनांक 06.07.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की, जो नकल दिनांक 06.07.2020 को प्राप्त हुई। जिस नकल प्राप्ति की एवं आदेश की जानकारी की दिनांक से अपीलार्थीगण की अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही हैं। जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायसंगत है, जिस हेतु धारा 05 का अलग से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन था। इसी के चलते अपीलार्थीगण भी भारत सरकार के निर्देशों की पालना में कहीं भी आ–जा नहीं सका था एवं लॉकडाउन खुलने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश की नकल लेने हेतु दिनांक 06.07.2020 को नकल प्राप्त की। तत्पश्चात उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 03.03.2020 को पारित अंतरिम अस्थाई व्यादेश के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 07.07.2020 को प्रस्तुत की हैं।
2. अपीलांट द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि कोरोनाकाल के कारण लॉकडाउन के चलते अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने में विलंब हुआ, जो दिनांक 06.07.2020 को नकल प्राप्त हुई। अतः विलंब सद्भाविक होने से माफ करते हुए अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. पत्रावली के अवलोकन से हमारा विनम्र मत है कि अपीलाधीन आदेश एवं अपील प्रस्तुत करने के मध्य की अवधि कोविड–19 महामारी से प्रभावित अवधि रही हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 03.03.2020 को प्रार्थी रेस्पोंडेंट की एकपक्षीय बहस सुनकर आगामी तारीख पेशी तक अपीलांट्स के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई व्यादेश पारित किया गया है। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.04.2020 नियत की गई। जो कोविड महामारी की वजह से मुल्तवी होकर दिनांक 18.06.2020 को नियत की गई। इसी अवधि में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पत्रावली तलब कर ली गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई व्यादेश के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं।
5. धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेशों के विरूद्ध ही अपील ही पोषणीय व ग्राह्य होती हैं। अंतरिम आदेश जोकि आगामी तारीख पेशी तक ही हैं, के प्रकरण में अपीलांट के पास यह विकल्प रहता है कि वह आगामी तारीख पेशी तक अपना जवाब प्रस्तुत कर अंतरिम आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में ही अनुतोष प्राप्त करने के लिए चाराजोही कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधिसंगत

Scanned with OKEN Scanner

नहीं कहा जा सकता। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट ग्राह्य व पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स ग्राह्य व पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner